

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार, बनेडा  
जिला-भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 102/19 / 200 ना.क.

अनवान

पटवार हल्का बनेडा बनाम श्री चौधरी जाति पिता श्री बनेडा निवासी भीलवाड़ा (अप्रार्थी)

(प्रार्थी)

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक 25/5/19

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का एवं अप्रार्थी उपस्थित है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं :-  
ग्राम बनेडा पटवार मण्डल बनेडा तहसील-बनेडा की  
बिलानाम/चरागाह आराजी नम्बर 535 में से रकबा 12/11 बीघा पर  
अप्रार्थी द्वारा फसल रबी/खरीफ सम्वत् 2075 के दौरान अतिक्रमण कर फसल जिस  
हल्का ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91(3) का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया  
गया। नोटिस विधिवत तामिल होकर शामिल पत्रावली किया गया है।

वक्त तारीख पेशी पर अप्रार्थी ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपना अतिक्रमण  
होना तथा जिस 535 काश्त स्वीकार किया तथा नियमन किये जाने बाबत कोई  
साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये/अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है अतः मामले में एक तरफा  
कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

चूंकि अप्रार्थी ने राजकीय बिलानाम/चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त की हैं अतः प्रार्थी  
को अतिक्रमी करार देते हुये मौके से बेदखल किये जाने एवं फसल जब्तसरकार की जाकर निलाम किये जाने  
का आदेश दिया जाता है तथा अतिक्रमण करने के फलस्वरूप उक्त भूमि का वार्षिक लगान 0.05  
का गुणा 50 रुपये के अर्थ दण्ड ये दण्डित किया जाता है।  
आदेश खुले न्यायालय से सुनाया जाता है।

पालनार्थ पटवारी हल्का को लिखा जावे। राजस्व लेखाकार के यहां पत्रावली में मांग कायम कराई  
जावे। बाद तामिल तकमील पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नायब तहसीलदार  
बनेडा जि. भीलवाड़ा

वर्ष 18-19 में राते 4 ने  
संस्था 26 पर रु 50  
की मांग कायम की गई।

तहसील लेखाकार  
बनेडा जि. भीलवाड़ा